न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 75/2021 (GCMS : 2021/ 211) अम्मूराम उर्फ वीरूराम पुत्र खिंवरा राम जाति मेघवाल उम्र 73 वर्ष, निवासी पुरानी आबादी सम्पत बस्ती, श्रीगंगानगर (राज.) <u>**बनाम**</u> राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>19.10..2022</u>

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री महेन्द्रपाल गुप्ता एवं अप्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री गुरजीत सिंह वानर उपस्थित हुए। उपभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन था कि धारा 92(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित धारा 39 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें आगामी तारीख पेशी 11.11.2022 नियत है और प्रकरण वादी के कब्जा काश्त व अधिकार की कृषि भूमि का नामन्तरण करवाने का है।

उनका आगे यह भी कथन था कि उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर में पीठासीन अधिकारी का पद खाली है और पत्रावली में लंबे समय से कोई कार्यवाही नहीं हो रही है और प्रकरण में कोई प्राईवेट पार्टी भी पक्षकार नहीं हैं, इसलिए उनके प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुंतकिल किया जावे।

उनका आगे यह भी कथन था कि प्रार्थी एक वरिष्ठ नागरिक है और उसे एक आंख से दिखाई नहीं देता है और प्रार्थी एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति है और वृद्धावस्था के कारण हर तारीख पर मुकदमें की पैरवी करने में असमर्थ है और गरीब आदमी होने के कारण उसे सादुलशहर जाने में भी बहुत आर्थिक एवं मानसिक परेशानी होती है। इसलिए उनके प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुंतकिल किया जावे।

इसके विपरीत राजकीय अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी अम्मूराम उर्फ वीरूराम ने अधीनस्थ न्यायालय में 92(ए) [illegible] काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रकरण संख्या अम्मूराम उर्फ [illegible] जरिये तहसीलदार, सादुलहशहर को अन्यत्र मुंतकिल के लिए यह प्रार्थना [illegible] पीठासीन अधिकारी [illegible] खाली होने के कारण मुंतकिल करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। पीठासीन अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.11.02 17:39:26 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

पर कोई आरोप नहीं लगाये है **तथा वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर का पद रिक्त नहीं है इसलिए प्रार्थी का मुंतकिल प्रार्थना पत्र खारिज ना किया जावे।**

मैनें, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया और उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थी अम्मूराम उर्फ वीरूराम ने अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन 92(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित धारा 39 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय में विचाराधीन है जिसे प्रार्थी ने मुंतकिल के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। इस न्यायालय को धारा 92(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रकरण के गुण दोष पर विचार नहीं करना है अपितु इस न्यायालय को यह देखना है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना है अथवा नही,?

प्रार्थी अम्मूराम उर्फ वीरूराम द्वारा यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र इस आधार पर पेश किया गया है कि सादुलशहर में **पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने है** एवं स्वयं का वरिष्ठ नागरिक होने के कारण, पैरवी करने में असमर्थ होने के कारण पेश किया है। पीठासीन अधिकारी पर कोई आरोप नहीं लगाये है। मुकद्दमा मुंतकिली का कोई ठोस आधार होना चाहिए। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र साधारण प्रकृति का है ऐसा प्रार्थना पत्र कभी भी किसी भी समय पेश किया जा सकता है। तथा वर्तमान में सादुलशहर में पीठासीन अधिकारी कार्यरत है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुंतकिली प्रार्थना पत्र खारिज करना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निणर्य की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को भिजवाई जाये। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.11.02 17:39:26 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 19.10.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर